न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

राधेश्याम बनाम नुमिस्वार तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थनापत्र 136 LR Act — प्रकरण — 39/2021	
11-3-2022	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30-3-22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
30.03.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते आदेश/निर्णय पत्रावली दिनांक 25.04.2022 को पेश हो। (दिलीप सिंह) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर श्रीमाधोपुर (सीकर)	
25.04.2022	पत्रावली आज वास्ते आदेश/निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 25/04/22 दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.09 10:14:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–सीकर(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
39 / 2021	2021 / 235	04.08.2021	25.04.2022

उनवान प्रकरण

राधेश्याम पुत्र जगदीश पौत्र काना उम्र 25 वर्ष जाति मीणा निवासी सीपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला – सीकर।

—प्रार्थी—

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला – सीकर राज0 ।

—अप्रार्थी—

उपस्थित :–

श्री सुरेश कुमार लाम्बा एड0 – प्रार्थी की ओर से

पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर– अप्रार्थी की ओर से

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी [illegible] 299 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा हैक्टर के नवीन कृषि भूमि खसरा नम्बर 3 / 327 [illegible] 0.5300 हैक्टर में स्थित है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.09 10:44:04 IST
Reason: SelfAttested

25/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदारी सही हिस्सानुसार प्रार्थी के दादा स्व0 काना पुत्र श्योनाथ मीणा हिस्सा 1/9 एंव खातेदार ग्यारसीलाल पुत्र घीसा हिस्सा 1/36, रूड़ाराम पुत्र घीसा हिस्सा 1/36, सुवा पुत्र घीसा हिस्सा 1/36, नर्बदा देवी पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1/72, मनीष कुमार पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/72 दुरूस्त किया जाकर दुरूस्त किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 480/भू.अ./2022 दिनांक 22.02.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :–

जमाबंदी संवत् 2018–21 के खाता संख्या 14 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा तन् ग्राम सीपुर तहसील श्रीमाधोपुर के राजस्व रिकार्ड खातेदारी चन्द्रा पुत्र सुखदेव मीणा, झूंथा पुत्र सुबला बलाई, मुल्या पुत्र बेगला बलाई, भूरा पुत्र श्योनाथ मीणा, काना पुत्र श्योनाथ मीणा, घासी पुत्र खुमाना मीणा, चौला पुत्र रुघनाथ कुम्हार, सोन्या पुत्र बला बलाई सा.देह दर्ज रिकार्ड है। ग्राम सीपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2022–25 के खाता संख्या 16 खसरा नम्बर 299 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी चन्द्रा पुत्र सुखदेवा मीणा, झूंथा पुत्र सुबला बलाई, सूगला पुत्र [illegible] बलाई, मुल्या पुत्र बेगला बलाई, भूरा पुत्र श्योनाथ मीणा, घासी पुत्र खुमाना मीणा, चौला पुत्र रुघनाथ कुम्हार, सोन्या पुत्र बालू बलाई सा.देह दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2022–2025 [illegible] 16 में खातेदार काना पुत्र श्योनाथ मीणा का नाम छूट गया। जो जमाबन्दी [illegible] 2018–21 के खाता सं. 14 में दर्ज रिकार्ड था। इसके पश्चात राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नहीं आया है। वर्तमान राजस्व

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.09 10:44:04 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर) 2?/04/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पुराने खसरा नम्बर की जमाबन्दी सम्वत् 2018 से 2021 में प्रार्थी का दादा स्व0 काना पुत्र श्योनाथ मीणा हिस्सा 1/9 का खातेदार काश्तकार दर्ज है परन्तु इसके बाद जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 में प्रार्थी का दादा स्व0 काना पुत्र श्योनाथ मीणा का नाम राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही के कारण हटा दिया गया एंव प्रार्थी के दादा स्व0 काना पुत्र श्योनाथ मीणा के नाम दर्ज हिस्सा 1/9 की खातेदारी गलत रूप से खातेदार स्व0 घासी पुत्र खुमाना जो भूमि में हिस्सा 1/9 का ही खातेदार दर्ज था परन्तु गलत रूप से खातेदार स्व0 घासी पुत्र खुमाना के वारिसान् क्रमशः ग्यारसीलाल पुत्र घीसा हिस्सा 1/27, रूड़ाराम पुत्र घीसा हिस्सा 1/27, सुवा पुत्र घीसा हिस्सा 1/27, नर्बदा देवी पत्नी रामस्वरूप पुत्रवधु घीसा हिस्सा 1/18, मनीष कुमार पुत्र रामस्वरूप पौत्र घीसा हिस्सा 1/18 दर्ज कर दिया गया जो कुल हिस्सा 2/9 गलत रूप से प्रार्थी के दादा खातेदार स्वर्गीय काना पुत्र श्योनाथ मीणा के नाम दर्ज 1/9 हिस्सा की भूमि को शामिल करते हुए दर्ज कर दिया गया जबकि इनके कुल 1/9 हिस्सा की खातेदारी ही दर्ज होनी चाहिए थी। वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सही हिस्सानुसार 1/9 प्रार्थी के दादा खातेदार स्व0 काना पुत्र श्योनाथ मीणा एंव खातेदार ग्यारसीलाल पुत्र घीसा हिस्सा 1/36, रूड़ाराम पुत्र घीसा हिस्सा 1/36, सुवा पुत्र घीसा हिस्सा 1/36, नर्बदा देवी पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1/72, मनीष कुमार पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/72 दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी के दादा काना पुत्र श्योनाथ व पिता जगदीश पुत्र काना की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार से उक्त सही हिससानुसार दुरूस्त करने का निवेदन किया तो अदालत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत माननीय न्यायालय से आदेश लाने लाने के लिए कहे जाने पर [illegible] 1956 के तहत दुरूस्ती किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत [illegible]। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 [illegible]

प्रार्थी अभिभाषक ने निवेदन कि[illegible] कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नंबर 3/327 रकबा 0.53 हैक्टर तन् ग्राम सीपुर तहसील

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.09 10:44:04 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड में (जमाबन्दी सम्वत् 2018–21 के अनुसार) काना पुत्र श्योनाथ मीणा का नाम जोड़े जाना उचित है। साबिक खसरा नम्बर 15/299 का वर्तमान खसरा नम्बर 3/327 बना है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 75 खसरा नम्बर 3/327 रकबा 0.53 हैक्टर की खातेदारी ग्यारसीलाल, रूड़ाराम, सुवा पि0 घीसा हिस्सा 1/9, नर्बदा देवी पत्नी रामस्वरूप, मनीष कुमार पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/9 जाति मीणा दर्ज रिकार्ड है। उक्त दर्ज खातेदारी में काना पुत्र श्योनाथ जाति मीणा का नाम जोड़े जाने के पश्चात् खातेदारी ग्यारसीलाल, रूड़ाराम, सुवा पि0 घीसा हिस्सा 1/12, नर्बदा देवी पत्नी रामस्वरूप, मनीष कुमार पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/36, काना पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/9 जाति मीणा शेष बदस्तुर जमाबन्दी शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा की गई है।

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम सीपुर तहसील श्रीमाधोपुर के खाता संख्या 75 में कृषि भूमि खसरा नम्बर 3/327 रकबा 0.53 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में काना पुत्र श्योनाथ मीणा का नाम जमाबन्दी सम्वत् 2022–25 बनाते समय खाता सं. 16 में नाम छुट जाना प्रकट होता है। जिसे वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 75 में जोड़ने पर अन्य दर्ज खातेदारान् के हिस्से प्रभावित होना प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में काना पुत्र श्योनाथ जाति मीणा का नाम जोड़ने पर खातेदारी ग्यारसीलाल, रूड़ाराम, सुवा पि0 घीसा हिस्सा 1/9, नर्बदा देवी पत्नी रामस्वरूप, मनीष कुमार पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/9 जाति मीणा के स्थान पर खातेदारी ग्यारसीलाल, रूड़ाराम, सुवा पि0 घीसा हिस्सा 1/12, नर्बदा देवी पत्नी रामस्वरूप, मनीष कुमार पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/36, काना पुत्र श्योनाथ हिस्सा 1/9 जाति मीणा दुरूस्त कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.09 10:44:04 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सही करना तथा शेष खाता बदस्तूर जमाबन्दी रखा जाना न्यायोचित प्रतित होता है। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सीपुर तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 3/327 कुल रकबा 0.5300 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी सही हिस्सानुसार प्रार्थी के दादा स्वर्गीय कान्ना पुत्र श्योनाथ मीणा हिस्सा 1/9 एंव खातेदार ग्यारसीलाल पुत्र घीसा हिस्सा 1/36, रूड़ाराम पुत्र घीसा हिस्सा 1/36, सुवा पुत्र घीसा हिस्सा 1/36, नर्बदा देवी पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1/72, मनीष कुमार पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/72 सही दर्ज कर राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

25/04/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.09 10:44:04 IST
Reason: SelfAttested

25/04/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)